बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक .....

सं०–08 / आ०5–28 / 2020..... / प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 100 दिनांक 14.01.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी कंचनलता, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर–सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध "आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवानिवृति की तिथि तक असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में एक निम्नतर प्रकरण में अवनति" का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक 29.10.2026 को निर्धारित सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–08 द्वारा पक्ष रखा गया।

2. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक 172 दिनांक 26.08.2022 द्वारा श्रीमती कुमारी कंचनलता, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धोरैया, बाँका–सम्प्रति–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर के विरूद्ध विद्यालय शिक्षा समिति का गठन होने के उपरान्त भी निबंधन नहीं करने एवं राशि की मांग करने, शिक्षकों के सेवापुस्तिका अद्यतन करने में अवैध वसूली करने, नव नियुक्त नियोजित शिक्षकों को नियम के विपरीत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान करने एवं उनका शैक्षणिक–प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का अनाधिकृत रूप से जाँच करने का प्रयास करने, प्रखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, धोरैया द्वारा शिक्षके की समस्या हेतु वार्ता का अनुरोध किये जाने पर अनसुना करने, श्री अनिल कुमार दास, प्रखंड साधन सेवी, धोरैया की उम्र 58 वर्ष 06 माह से अधिक रहने के बावजूद भी प्रखंड साधन सेवी के पद पर बनाये रखना एवं विभागीय नियमों के प्रतिकूल कार्य करने संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया। उक्त आरोप पत्र को संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक 854 दिनांक 14.11.2022 द्वारा श्रीमती कुमारी से बचाव अभिकथन की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त बचाव अभिकथन पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर से मंतव्य प्रतिवेदन की माँग की गयी।

3. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त बचाव अभिकथन एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विस्तृत जाँच हेतु निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1060 दिनांक 29.11.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), बाँका को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 113 दिनांक 03.09.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त के आलोक में निदेशालय पत्रांक 1091 दिनांक 15.10.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की

गयी। उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

5. प्राप्त लिखित अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के समुचित निर्वहन नहीं किए जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 100 दिनांक 14.01.2026 द्वारा उनके विरूद्ध "आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवानिवृति की तिथि तक असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में एक निम्नतर प्रकरण में अवनति" का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध निर्धारित सुनवाई तिथि को अपीलार्थी द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। लेकिन अधिरोपित दण्ड के कारणों के प्रतिउत्तर में कोई भी तथ्यपरक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संदर्भ में उनके अनुरोध के आलोक में बचाव पक्ष संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की सहमति दी गयी। लेकिन उनके द्वारा पूर्व में समर्पित लिखित अभ्यावेदन की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी। साथ ही सुनवाई में प्रस्तुत अपील आवेदन में भी संदर्भित तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो पाये कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा उनके कर्तव्यों का समुचित निर्वहन किया गया है।

7. अतः समीक्षोपरांत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 100 दिनांक 14.01.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी कंचनलता, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर–सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध "आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवानिवृति की तिथि तक असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में एक निम्नतर प्रकरण में अवनति" का अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

8. इसके साथ ही इस मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/–
(राजीव रौशन)
सचिव, शिक्षा विभाग,
पटना, दिनांक 06/11/2026

ज्ञापांक–08/आ०5–28/2020....1172../

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर एवं बाँका/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मुंगेर एवं बाँका/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती कुमारी कंचनलता, सेवानिवृत प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर, स्थायी पता–सीयाराम कॉलोनी, हवेली खड़गपुर, डी.एम. इंग्लिश स्कूल, कृष्णा बाजार, थाना–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर, राज्य–बिहार, पिन–811213, मो0–9097362934 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

6/11/26
सचिव, शिक्षा विभाग